झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.

इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2017

आवश्यक सूचना

प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम

दिनांकः 15.10.2018

इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2017 की मुख्य परीक्षा के आधार पर सभी विज्ञापित पदों के विरूद्ध अल्प सूचीबद्ध (Shortlisted) अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग कार्यालय में विभिन्न चरणों में किया गया था।

2. अगले चरण में दुमका जिला के अन्तर्गत बैकलॉग रिक्ति के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति कोटि के तहत निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 22.10.2018 को 03:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित किया जाता हैः–

अनुक्रमांक :– 1211130180, 1211130259, 1212130067, 1336130238. **(कुल 04)**

प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाना किसी अल्प सूचीबद्ध (Shortlisted) अभ्यर्थी का अंतिम चयन नहीं है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त मेधाक्रमानुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा तथा जाँच में अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अन्य कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

3. अभ्यर्थी जाँच हेतु उपर्युक्त परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूलप्रति, एक–एक स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ तथा हाल में खींचा गया दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। जाँच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की सूची नीचे अंकित है :–

I. मैट्रिक उर्त्तीणता प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।

II. अधिसूचित जिले के रिक्ति के विरूद्ध अभ्यर्थिता सत्यापन के लिए

क) किसी अधिसूचित जिले के रिक्ति के विरूद्ध आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए उस जिले के उपायुक्त अथवा जिला अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।

ख) वही स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा जिसकी संख्या, निर्गम तिथि तथा निर्गम प्राधिकार की प्रविष्टि ऑन लाईन आवेदन पत्र में की गई है। आवेदन में दर्ज प्रमाण पत्र से भिन्न स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

IV. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए

क) झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (प्रासंगिक परीक्षा) की विवरणिका के परिशिष्ट–III के प्रपत्र में।

ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र प्रासंगिक परीक्षा की विवरणिका के परिशिष्ट–I के प्रपत्र में।

ग) जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिला के उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए।

घ) वही जाति प्रमाण एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा जिसकी संख्या, निर्गम तिथि तथा निर्गम प्राधिकार की प्रविष्टि ऑन लाईन आवेदन पत्र में की गई है। आवेदन में दर्ज प्रमाण पत्र से भिन्न जाति का प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। ऑन लाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

ह0 / –

परीक्षा नियंत्रक।